संख्या-47/2022/983जेएल/22-3-2022-100(9)/2020

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 29 जुलाई, 2022

विषय- जिला कारागार, चित्रकूट में निरूद्ध 02 विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-23632/सामा-1(7)/चित्रकूट/02बंदी/2022, दिनांक 20-07-2022 में की गयी संस्तुति के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार, चित्रकूट में निरूद्ध निम्नलिखित 02 विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 की कारागारों में स्थानांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0	विचाराधीन बंदी का नाम/पिता का नाम	वर्तमान निरूद्धि की कारागार	स्थानांतरण हेतु प्रस्तावित कारागार का नाम
1	2	3	4
01	श्रीप्रकाश मिश्रा उर्फ झुन्ना पण्डित पुत्र श्री नन्दलाल मिश्रा	जिला कारागार, चित्रकूट	जिला कारागार, कासगंज
02	सोनू सिंह उर्फ आशीष उर्फ खरखण्डू पुत्र श्री महेन्द्र प्रताप सिंह	जिला कारागार, चित्रकूट	जिला कारागार, बुलन्दशहर

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

2 निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

3- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।

4- जिला मजिस्ट्रेट, चित्रकूट/कासगंज/बुलन्दशहर।

5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर/चित्रकूट/कासगंज।

6- अधीक्षक, जिला कारागार, कासगंज/बुलन्दशहर।

7- अधीक्षक, जिला कारागार, चित्रकूट को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदियों को जिला कारागार, चित्रकूट से संबंधित कारागारों में स्थानान्तरित/दाखिल किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायें।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in